न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

1–प्रकरण संख्या 58/2018 (उदयपुर डिक्री)

श्री हरिसिंह पिता किशनसिंह जी राजपूत निवासी भानसोल तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

मूर्ति श्री यशोदानन्दन जी का मंदिर तहसील वृन्दावन जिला मथुरा (उत्तर प्रदेश) जरिये पुजारी नत्थीलाल शर्मा व राधेश्याम पिता हरगोविन्द जी शर्मा निवासी अठखम्भा वृन्दावन तहसील वृन्दावन जिला मथुरा (उत्तर प्रदेश)

..... रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी मावली दिनांक 16–04–2018 प्रकरण सं.
302/2013 वाद

———/———

2–प्रकरण संख्या 59/2018 (उदयपुर डिक्री)

1. मु. गोपीबाई बेवा मांगीलाल जी कुम्हार (कुमावत) निवासी भानसोल तहसील मावली जिला जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री देवीलाल पिता भमरू जी कुम्हार (कुमावत) निवासी भानसोल तहसील मावली जिला जिला उदयपुर (राज0)
3. श्री चम्पालाल पिता भमरू जी कुम्हार (कुमावत) निवासी भानसोल तहसील मावली जिला जिला उदयपुर (राज0)
4. श्री मोहनलाल पिता भमरू कुम्हार (कुमावत) निवासी भानसोल तहसील मावली जिला जिला उदयपुर (राज0)
5. श्री रूपलाल पिता गोदा जी कुम्हार (कुमावत) निवासी भानसोल तहसील मावली जिला जिला उदयपुर (राज0)
6. श्री छगनलाल पिता लालू जी कुम्हार (कुमावत) निवासी भानसोल तहसील मावली जिला जिला उदयपुर (राज0)

7. श्री नारायण पिता लालू जी कुम्हार (कुमावत) निवासी भानसोल तहसील मावली जिला जिला उदयपुर (राज0)
8. श्री रामलाल पिता लालू जी कुम्हार (कुमावत) निवासी भानसोल तहसील मावली जिला जिला उदयपुर (राज0)
9. श्रीमती गीता पत्नी स्व. नानालाल जी कुम्हार (कुमावत) निवासी भानसोल तहसील मावली जिला जिला उदयपुर (राज0)
10. श्री पुष्कर पिता स्व. नानालाल जी कुम्हार (कुमावत) निवासी भानसोल तहसील मावली जिला जिला उदयपुर (राज0)
11. श्री गणेश पिता स्व. नानालाल जी कुम्हार (कुमावत) निवासी भानसोल तहसील मावली जिला जिला उदयपुर (राज0)
12. श्री योगेश पिता स्व. नानालाल जी कुम्हार (कुमावत) निवासी भानसोल तहसील मावली जिला जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

मूर्ति श्री यशोदानन्दन जी का मंदिर तहसील वृन्दावन जिला मथुरा (उत्तर प्रदेश) जरिये पुजारी नत्थीलाल शर्मा व राधेश्याम पिता हरगोविन्द जी शर्मा निवासी अठखम्भा वृन्दावन तहसील वृन्दावन जिला मथुरा (उत्तर प्रदेश)

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी मावली दिनांक 16–04–2018 प्रकरण सं.
303/2013 वाद

———/———

3–प्रकरण संख्या 60/2018 (उदयपुर डिक्री)

1. श्री उदयलाल पिता लच्छीराम जी कुमावत निवासी भानसोल तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री कालू पिता लक्ष्छीराम जी कुमावत निवासी भानसोल तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)

बनाम

मूर्ति श्री यशोदानन्दन जी का मंदिर तहसील वृन्दावन जिला मथुरा (उत्तर प्रदेश) जरिये पुजारी नत्थीलाल शर्मा व राधेश्याम पिता हरगोविन्द जी शर्मा निवासी अठखम्भा वृन्दावन तहसील वृन्दावन जिला मथुरा (उत्तर प्रदेश)

..... रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी मावली दिनांक 16–04–2018 प्रकरण सं.
304 / 2013 वाद

–––/–––

4–<u>प्रकरण संख्या 61 / 2018 (उदयपुर डिक्री)</u>

1. श्री भेरूलाल पिता देवा जी कुम्हार (कुमावत) निवासी भानसोल तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री मांगू पिता देवा जी कुम्हार (कुमावत) निवासी भानसोल तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
3. श्री प्यारा पिता देवा जी कुम्हार (कुमावत) निवासी भानसोल तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
4. श्री भमरू पिता देवा जी कुम्हार (कुमावत) निवासी भानसोल तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
5. श्री नरोतम पिता गोपीलाल जी कुम्हार (कुमावत) निवासी भानसोल तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
6. श्रीमती हगामी पत्नी स्व. गोपीलाल जी कुम्हार (कुमावत) निवासी भानसोल तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
7. श्री कल्पेश पिता स्व. गोपीलाल जी कुम्हार (कुमावत) निवासी भानसोल तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट

<u>बनाम</u>

मूर्ति श्री यशोदानन्दन जी का मंदिर तहसील वृन्दावन जिला मथुरा (उत्तर प्रदेश) जरिये पुजारी नत्थीलाल शर्मा व राधेश्याम पिता हरगोविन्द जी शर्मा निवासी अठखम्भा वृन्दावन तहसील वृन्दावन जिला मथुरा (उत्तर प्रदेश)

..... रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी मावली दिनांक 16–04–2018 प्रकरण सं.
305 / 2013 वाद

————

5–<u>प्रकरण संख्या 62 / 2018 (उदयपुर डिक्री)</u>

1. श्री देवीलाल पिता नाथू जी लोहार निवासी भानसोल तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
8. श्री भूरा पिता नाथू जी लोहार कुम्हार (कुमावत) निवासी भानसोल तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट

<u>बनाम</u>

मूर्ति श्री यशोदानन्दन जी का मंदिर तहसील वृन्दावन जिला मथुरा (उत्तर प्रदेश) जरिये पुजारी नत्थीलाल शर्मा व राधेश्याम पिता हरगोविन्द जी शर्मा निवासी अठखम्भा वृन्दावन तहसील वृन्दावन जिला मथुरा (उत्तर प्रदेश)

..... रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी मावली दिनांक 16–04–2018 प्रकरण सं.
306 / 2013 वाद

————

6–<u>प्रकरण संख्या 63 / 2018 (उदयपुर डिक्री)</u>

1. श्री तुलसीराम पिता नारायण जी सुथार निवासी भानसोल तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री धूलीराम पिता नारायण जी सुथार निवासी भानसोल तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट

<u>बनाम</u>

मूर्ति श्री यशोदानन्दन जी का मंदिर तहसील वृन्दावन जिला मथुरा (उत्तर प्रदेश) जरिये पुजारी नत्थीलाल शर्मा व राधेश्याम पिता हरगोविन्द जी शर्मा निवासी अठखम्भा वृन्दावन तहसील वृन्दावन जिला मथुरा (उत्तर प्रदेश)

..... रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी मावली दिनांक 16–04–2018 प्रकरण सं.
307 / 2013 वाद

————————

7–प्रकरण संख्या 64 / 2018 (उदयपुर डिक्री)

1. श्रीमती राजकुंवर पत्नी प्रतापसिंह जी राजपूत निवासी भानसोल तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री रतनसिंह पिता चन्दनसिंह जी राजपूत निवासी भानसोल तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
3. श्री नाहर सिंह पिता चन्दनसिंह जी राजपूत निवासी भानसोल तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
4. श्री भंवरसिंह पिता चन्दनसिंह जी राजपूत निवासी भानसोल तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
5. श्री मानसिंह पिता चन्दनसिंह जी राजपूत निवासी भानसोल तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
6. श्री डूल्हेसिंह पिता चन्दनसिंह जी राजपूत निवासी भानसोल तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

मूर्ति श्री यशोदानन्दन जी का मंदिर तहसील वृन्दावन जिला मथुरा (उत्तर प्रदेश) जरिये पुजारी नत्थीलाल शर्मा व राधेश्याम पिता हरगोविन्द जी शर्मा निवासी अठखम्भा वृन्दावन तहसील वृन्दावन जिला मथुरा (उत्तर प्रदेश)

..... रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी मावली दिनांक 16–04–2018 प्रकरण सं.
308 / 2013 वाद

उपस्थित :– 1– श्री खेमराज डांगी अभिभाषक अपीलान्ट्स

2– श्री रामकृपा शर्मा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट्स

———————————

निर्णय **दिनांक 29–11–2018**

शीर्षक वर्णित सातों अपीलों बाबत् वादकरण के संक्षिप्त तथ्य संलग्न **परिशिष्ठ–1** अनुसार है, जो इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

उपरोक्त सभी अपीलों में अपीलान्ट व उसके पूर्वज के भू–प्रबन्ध के पूर्व ग्राम भानसोल मे खातेदार होने तथा भू–प्रबन्ध बाद उक्त भूमियों को बिना अधिकारिता रेकार्डेड खातेदार अपीलान्ट वादी या उसके पूर्वजों का नाम हटाकर रेस्पोन्डेन्ट मंदिर के नाम दर्ज किये जाने के कारण अपीलान्ट वादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में घोषणात्मक वाद प्रस्तुत किया गया था।

उपरोक्त सभी प्रकरणों में विषयवस्तु व रेस्पोन्डेन्ट समान होने, सिर्फ अपीलान्ट व आराजी नंबर पृथक होने व वाद की तथा निर्णय की एक ही प्रकृति होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक ही दिनांक 16–04–2018 को उक्त अपीलाधीन सभी प्रकरणों में एक ही प्रकार का निर्णय दिये जाने के कारण इन सातो अपीलों का निर्णय एक साथ किया जाना हम उचित समझते है। निर्णय की एक–एक प्रति सभी पत्रावलियों में संलग्न की जाय।

प्रकरण में संलग्न परिशिष्ठ–1 अनुसार अपीलान्ट वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि ग्राम भानसोल में साबिक सेटलमेन्ट में विवादित आराजीयात अपीलान्ट/उनके पूर्वजों के नाम खातेदारी में दर्ज थी। भू–प्रबन्ध के दौरान इनके नये नंबर बिना अधिकारिता व सुनवाई के भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा भूमियां रेस्पोन्डेन्ट प्रतिवाद के नाम दर्ज कर दी।

प्रकरण में प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट द्वारा सभी अपीलाधीन प्रकरणों में आदेश–7, नियम–11 जाब्ता दीवानी का आवेदन पेश कर निवेदन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद 25–9–2013 को विवादित आराजीयात पुनः वादीगण के खाते कराने के लिए कहे जाने व प्रतिवादी द्वारा इन्कार किये जाने के आधार पर वादकरण उत्पन्न होने का गलत कथन किया है। विवादित

भूमियां मंदिर के नाम दर्ज होने तथा मंदिर शाश्वत नाबालिग है, एवं पुजारी के इन्कार किये जाने के कारण वादी को वादकरण उत्पन्न नहीं होता। मंदिर के नाम भूमियां 40 वर्ष से दर्ज है। वाद अवधि पार होने के कारण खारिज किया जाय।

प्रकरण में दिनांक 10–12–2014 को उक्त आवेदन के साथ खण्डन का विस्तृत जवाब भी रेस्पोन्डेन्ट प्रतिवादी द्वारा पेश किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में आदेश–7, नियम–11 जाब्ता दीवानी के आवेदन पर सभी प्रकरणों में बहस सुनकर दिनांक 16–4–2018 को आवेदन रेस्पोन्डेन्ट प्रतिवादी का स्वीकार कर वादी का वाद खारिज कर दिया।

अधिनस्थ न्यायालय के सभी प्रकरणों में निंाक 16–4–2018 से रूष्ट होकर अपीलान्ट वादी द्वारा सभी अपीलाधीन प्रकरणों में ये सातो अपीलें दिनांक 11–6–2018 को पेश की।

अपीले दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की और से अधिवक्ता श्री रामकृपा शर्मा ने वकालत पत्र प्रस्तुत किया।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावलियां तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय में वाद व आदेश–7, नियम–11 जाब्ता दीवानी के प्रावधान को समझे बिना निर्णय पारित किया है। आदेश–7, नियम–11 जाब्ता दीवानी के प्रावधान केवल वाद में अंकित तथ्यों पर ही लागू होते है। वाद के बाहर की प्लीडिंग्स मान्य नहीं होती। वादी द्वारा वाद में वादकारण बताया गया है। प्रकरण में सरकार व भू–प्रबन्ध विभाग को पक्षकार नहीं बनाने के आधार पर भी वाद खारिज नहीं होता। क्योंकि ऐसे प्रकरणों में आवश्यक पक्षकार यदि कोई है, तो उसे भी न्यायालय आदेश देकर पक्षकार बना सकती है, परन्तु इस आधार पर वाद खारिज नहीं किया जा सकता। अपीलान्ट वादी द्वारा

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत उचित वाद प्रस्तुत किया था, जिसे त्रुटिपूर्ण रूप से खारिज किया गया है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि रेस्पोन्डेन्ट प्रतिवादी द्वारा मूलतः आवेदन वादकारण नहीं होने, वाद अवधि बाधित होने तथा मंदिर के विरूद्ध होने के कारण आवेदन आधार पर वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया था।

प्रकरण में आदेश–7, नियम–11 के प्रावधानों में यह वर्णित है कि **"जहां वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है"**। प्रकरण में संलग्न परिशिष्ठ अनुसार प्रत्येक वाद के कॉलम संख्या 10 अनुसार वादपत्र की कलम संख्या 8, 9, 10 में वाद हेतुक प्रकट किया गया है। वादहेतुक त्रुटिपूर्ण होना एक तनकी/साक्ष्य का विषय हो सकता है, परन्तु जहां वादहेतुक प्रकट किया गया हो, वहां वादहेतुक आधार पर वाद खारिज नहीं किया जाना चाहिये।

प्रकरण में जहां तक अवधि का प्रश्न है घोषणात्क वाद के लिए कोई अवधि नहीं होती, तद्नुसार यह आधार भी उचित नहीं है। प्रकरण में मंदिर के विरूद्ध वाद सिर्फ मंदिर होने के कारण पोषणीय नहीं हो, यह विधिक स्थिति नहीं है। रेस्पोन्डेन्ट प्रार्थी द्वारा कहीं आवश्यक पक्षकारों के अभाव का अपने आवेदन में उल्लेख नहीं किया है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में सरकार को आवश्यक पक्षकार होना मानकर इस आधार पर भी वाद खारिज किया है, जबकि प्रकरण में अपीलान्ट वादी द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीर R B J (12) 2005 पेज 652 तथा R R T 2003 (1) पेज 547 पेश की गई है, जिनमें यह निर्धारित किया गया है कि आवश्यक पक्षकारों का असंयोजन यदि हो तो भी वाद खारिज नहीं किया जाना चाहिये। अपितु पक्षकार संयोजित किये जाने चाहिये। इन न्यायिक नजीरों के आधार पर यह आधार भी वाद खारिज किये जाने के लिए पोषणीय नहीं है। प्रकरण में आदेश–7, नियम–11 जाब्ता दीवानी वर्णित कोई सारभूत आधार नहीं था, जिसके आधार पर वाद की प्लीडिंग्स के आधार पर खारिज किया जा सके। प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा भी पेश किया जा चुका था। इन परिस्थितियों में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अधिकतम यदि सरकार को पक्षकार बनाया जाना मुनासिब

समझा जाये तो उसे भी प्रतिवादी संस्थित किया जाय तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश–7, नियम–11 जाब्ता दीवानी के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16–4–2018 को वाद खारिज किये जाने के आदेश को त्रुटिपूर्ण होने के कारण उपरोक्त विवेचनानुसार अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः सातो अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 16–4–2018 अपास्त किये जाते है तथा सातो प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को **प्रतिप्रेषित** किये जाकर निर्देशित किया जाता है कि हमारे उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टीगण रखते हुए प्रकरण में विविध कार्यवाही करते हुए विविध निर्णय नियमानुसार पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में 28–1–2019 को उपस्थित होवे।

सातो पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29–11–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम ..... **उदयपुर** व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

श्री लालू पिता भेराजी भील (गमेती) निवासी वारणी तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0) बनाम **मु. गंगाबाई बेवा खेमा जी भील (गमेती) निवासी वारणी, हाल भारोड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)**

अपील नं0 **2/2015** बनाराजगी डिगरी अदालत ..... **उपखण्ड अधिकारी** ..... **मावली** ... मुकाम मुक्र्खे.....**27**.....माह.....**11**..... **2014**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**16**..... माह .....**08**..... सन् **2016** रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री खेमराज डांगी..... मिनजानिब अपीलान्ट व ....अनुपस्थित ..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–11–2014 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**16.**..... माह ...**08**..... **2016** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।